न्यायालय तहसीलदार, पुष्कर (जिला अजमेर)

प्रकरण संख्या 14 /2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का कडैल बनाम श्रीमती सोनाली मित्तल पत्नी अभिषेक मित्तल जाति अग्रवाल निवासी अजमेर

(अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956)

निर्णय दिनांक 01.03.2023

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का कडैल तथा भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल ने एक रिपोर्ट इस आश्य की पेश की है कि अप्रार्थीया द्वारा संवत् 2079 में ग्राम डूंगरिया खुर्द के खसरा नम्बर 159/686 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता तथा खसरा नम्बर 299 रकबा 0.64 किस्म गै.मु.रास्ता में से क्रमशः 0.05 तथा 0.03 हैक्टेयर में तारबन्दी लगा कर/कब्जा कर अतिक्रमण/अतिचार कर लिया है।

उक्त रिपोर्ट से आश्वस्त होकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया की ओर उसके पति दिनांक 23.12.2022 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में पटवारी हल्का कडैल तथा भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल से रिपोर्ट ली गई। प्रकरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल तथा पटवारी हल्का कडैल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थीया ने स्वयं की भूमि के समीप स्थित रास्ते व नाले पर अतिक्रमण किया हुआ होना एवं जिसकी रिपोर्ट राजस्व मानचित्र अनुसार मौका जांच पश्चात किये जाने तथा प्रार्थीया स्वयं की भूमि का नाप तहसील कार्यालय में विधिवत अलग से आवेदन कर सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाकर करने संबधी कथन किये है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतः अप्रार्थीया को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाकर विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है तथा भूमि का कब्जा राजहित में लिया जावे। दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान कुल 0.24 का 50 गुणा 12/– शास्ति बारह रूपये कायम की जाती है। शास्ति राशि की वसूली, बेदखली/जब्ती/निलामी की कार्यवाही हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कडैल एवं पटवारी हल्का कडैल तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार पुष्कर
जिला अजमेर

Scanned with CamScanner